

फर्द अहकाम

2024/08

हरियाणा उच्च न्यायालय
 राज्य ACM नॉटिस

दिनांक 22/2024

T.E

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/5/24	<p>श्री सुख पलसानिया वकील ने न.द. प्रा.पत्र पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक श्री प्रा.पत्र दर्ज रिपेस्ट है। केन्द्र की व अप्रार्थितों के तलबी की जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 05/5/24 को पेश की।</p>	
25/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थितों 2 की ओर से D.P. यादव वकील ने जावर पेश किया। शेष अप्रार्थितों 2 का इलाक़ शामिल अनुपस्थित है। यों: इनकी शामिल मानी जाकर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लायी जाती है। अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा पर बंधन खुली गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंधन पर अनंत किया गया। उच्च न्यायालय के जरीये अस्थायी अन्तर्गत निषेधाज्ञा से उलट कर पावट किया जाता है कि विवादित आ.ख.न. 221, 222, 224, 225, 226 व 228 कुल शिर्षा 6 का कुल रकबा 4.28 है। यों: यदि पार्क ग्राम सांगल कला तहसील चौराहा पिला जयपुर के मोड़ व चौराहे की अस्थापिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते जावाल हेतु आगामी दिनांक 03/5/24 को पेश की।</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

बनाम शुगराक

मुकदमा नम्बर :- 22/24 दीरगा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिशेष दिवरण
		<p>पत्रावली (प्रदान) हाजरी अर्क परी में खासिक नू जाती है पत्रावली रक नम्बर से नक-दी आशियल (दफ्तर व) A</p>	
		<p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	